

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 70/2018- सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 52/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 787 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 4 के समक्ष, कॉलम (4) में शब्द “शून्य” के स्थान पर अंक “5%”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 27 सितम्बर, 2018 से लागू होगी ।

[फा. सं.354/374/2018-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: -प्रधान अधिसूचना सं. 52/2017- सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017 को सा.का.नि. 787 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।